



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1943 (श०)

(सं० पटना 683) पटना, बुधवार, 11 अगस्त 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

11 अगस्त 2021

बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) नियमावली, 2021

सं० 06/इन्श्योरेन्स (वि०)-20/2018/4886—सिविल अपील वाद सं०-9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या-32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादों के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरणों एवं मुआवजा वाद निष्पादन संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्यता के मद्देनजर धारा 165, 176 एवं 211 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-212 के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, उनकी आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रारूप प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों तक विभागीय वेबसाइट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित किया गया था।

इसके संबंध में समर्पित आपत्ति एवं सुझाव जो उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुए, उनपर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तार:—**

- (क) यह बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-1) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।
- (ख) यह दिनांक-15.09.2021 से प्रभावी होगा।
- (ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य के लिए प्रभावी होगा।

2. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के वर्तमान नियम-27 के पश्चात् निम्नवत नियम-28 अंतःस्थापित किया जाता है:-

नियम-28:-

- I मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 अधिसूचित किये जाने की तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्भूत मुआवजा वाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- II इस संशोधन नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों में दायर वाद पूर्ववत् निष्पादित किए जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 683-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संख्या :- 06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018 ५४४६

पटना, दिनांक- ११/४/२१

बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-१) नियमावली, 2021

सिविल अपील वाद सं०-९९३६ एवं ९९३७/२०१६, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम, १९८८ में अधिनियम संख्या-३२/२०१९ के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्भूत मुआवजा वादों के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, १९६१ के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरणों एवं मुआवजा वाद निष्पादन संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन अनिवार्यता के मद्देनजर धारा १६५, १७६ एवं २११ के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, १९९२ में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-२१२ के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, उनकी आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रारूप प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों तक विभागीय वेबसाइट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित किया गया था।

इसके संबंध में समर्पित आपत्ति एवं सुझाव जो उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुए, उनपर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

१. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि एवं विस्तार:-

- (क) यह बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन-१) नियमावली, २०२१ कही जा सकेगी।
- (ख) यह दिनांक-१५.०९.२०२१ से प्रभावी होगा।
- (ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य के लिए प्रभावी होगा।

२. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, १९६१ के वर्तमान नियम-२७ के पश्चात् निम्नवत नियम-२८ अंतःस्थापित किया जाता है:-

नियम-२८:-

I मोटरवाहन अधिनियम, १९८८ के अंतर्गत बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-१) नियमावली, २०२१ अधिसूचित किये जाने की तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्भूत मुआवजा वाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-१) नियमावली, २०२१ के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

II इस संशोधन नियमावली के लागू होने के पूर्व विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों में दायर वाद पूर्ववत् निष्पादित किए जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Liam
10/8
(संजय कुमार अग्रवाल)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018 ~~4886~~ /पटना, दिनांक :- 11/8/21

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Liam
10/8

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018 ~~4886~~ /पटना, दिनांक :- 11/8/21

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Liam
10/8

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018 ~~4886~~ /पटना, दिनांक :- 11/8/21

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Liam
10/8

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-06/इन्श्योरेन्स (वि0)-20/2018 ~~4886~~ /पटना, दिनांक :- 11/8/21

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Liam
10/8

सरकार के सचिव